दान पत्र

स्टाम्प   रूपये

स्टाम्प क्रमांक दिनांक

स्टाम्प की संख्या

क्लैक्टर् रेट सूचि नम्बर................................. के अनुसार कीमत

....

....

....: ——— निवासी ————तहसील ——— जिला ————
का हूं । जिसे आगे दान दाता कहा गया है (प्रथम पक्ष) एवं ....

....

....:

निवासी ————तहसील ——— जिला ———— का हूं । (जिसे आगे दानग्रहीता कहा गया है) जो इस लेख पत्र का द्बितीय पक्ष कार है, के मध्य निष्पादित किया गया है/ लिखा गया है और चूकि उक्त प्रथम पक्ष का एक मकान /प्लाट/फलेट/दुकान/फैक्टरी/उद्योगिक प्लाट/कृषि भूमि जो ....

....

.... स्थित है जिसकी सीमांए एवं क्षेत्रफल संलग्न अनुसूचि /नक्शे मे नीचे दर्शाया गया है एवं जिसका मुल्य क्लैक्टर रेट अनुसार रूप्ये .... (अक्षरों मे) .... रूप्ये है को प्रथम पक्ष दान करना चाहता है । संलग्न सूचि मे दर्शाए गए मकान/प्लाट/फलेट/दुकान/फैक्टरी/उद्योगिक प्लाट/कृषि भूमि को दान करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार है । प्रथम पक्ष ने सलग्न अनुसूचि/नक्शा मे दर्शाई गई अचल सम्पति को किसी अन्य को विक्रय, दान, बन्धक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नही किया

गया है तथा अनुसूचि मे दर्शाई गई अचल सम्पति पर प्रथम पक्ष ही काबिज है । सम्बन्धित अचल सम्पति पर किसी प्रकार का कोई कर्जा, किसी बैंक या सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से प्राप्त नही किया हुआ है। उक्त अचल सम्पति किसी नीलामी व कुर्की आदि मे शामिल नही है । उक्त अचल सम्पति को आज से पहले किसी प्रकार से रहन–बैय–हिब्बा व अन्य तरीके पर हस्तान्तरित नही किया गया है । अचल सम्पति को दान करने की बावत किसी प्रकार की कोई रूकावट किसी विभाग या किसी न्यायालय की नहीं है । अब अपने आत्म ज्ञान तथा प्रसन्न चित से बिना किसी दबाव व बहकावे के अनुसूचि मे दर्शाई गई अचल सम्पति तमाम हक श्री/श्रीमती ——————————————————————————————

द्धितीय पक्ष को दान कर दी है । दान की गई अचल सम्पति पर कब्जा व दखल दान ग्रहीता को मोके पर कराकर उसको पूर्ण रूप से अपना जैसा मालिक व काबिज बना दिया है । दान की गई अचल सम्पति से अब प्रथम पक्ष (दाता) का कोई ताल्लुक व वास्ता किसी प्रकार का ना रहा है । यदि दान की गई अचल सम्पति में दाता का कोई हकदार किसी प्रकार का झगड़ा करेगा या दान की गई अचल सम्पति किसी नुक्स कानूनी या वाक्याती की वजह से मलकियत दान ग्रहीता से निकल जावेगी तो उस सुरत मे उसकी पैरवी, जबाव देही, हरजा, खर्चा व वापसी सब जिम्मेदारी दाता (प्रथम पक्ष) की होगी । कुल खर्चा स्टाम्प एवं फीस दान ग्रहीता ने अपने पास से लगाया है । यह है कि दान ग्रहीता ने दान की गई अचल सम्पति को दान लेना स्वीकार करता है ।

अतः उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप दाता एवं दान ग्रहिता ने निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष अपने हस्ताक्षर पूर्ण होशो हवाश मे बिना किसी दबाव के कर दिये है । दिनांक————————

अनुसूचि (कृषि भूमि) के केस मे

खेवट/खतौनी/खसरा न0 ——————— तादादी——— कनाल———— मरला/विघा——— बिस्वा का——— हिस्सा क्षेत्रफल ——— कनाल———मरला/बिघा——— बिस्वा———— वर्ग गज———— वर्गमीटर स्थित गांव/शहर—————— हदबस्त न0———— तहसील————जिला——————— जमाबन्दी वर्ष ——————

नक्शा सीमा व पैमाईश मकान /प्लाट/फलेट/दुकान/फैक्टरी/उद्योगिक प्लाट के केस मे

पूर्वः— ..... फुट..... इंच.....पश्चिमः— ..... फुट..... इंच.....
...

उतरः— ..... फुट..... इंच.....दक्षिणः— ..... फुट..... इंच.....
.....

स्थित.....

गवाहः

1.

2.

दाता (प्रथम पक्ष)

दान ग्रहिता (द्वितीय पक्ष)